

पालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

<p>प्राथीगण</p> <ol style="list-style-type: none"> नेम्बाराम पुत्र टीकमाराम हडुमान पुत्र टीकमाराम चेलाराम पुत्र खियाराम हनुमानराम पुत्र केहराराम किशनाराम पुत्र केहराराम धनीदेवी पत्नी केहराराम जाति जाट निवासी चम्पाबेरी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 	<p>बनाम</p>	<p>विप्रार्थीगण</p> <ol style="list-style-type: none"> सुखराम पुत्र रायचन्द्रराम जाति विश्णोई निवासी चम्पाबेरी पुनमाराम पुत्र सुखराम जाति विश्णोई निवासी चम्पाबेरी रामु पत्नी सुखराम जाति विश्णोई निवासी चम्पाबेरी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर।
--	-------------	--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।
 राजस्व आवेदन संख्या 102/2021 दिनांक : 29.07.2022

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बामरला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बामरला के मौजा चम्पाबेरी के खेत खसरा संख्या 227/34 रकबा 66.05 बीघा, खसरा संख्या 33 रकबा 01.01 बीघा, खसरा संख्या 34 रकबा 65.04 बीघा कुल रकबा 66.05 बीघा तथा खसरा संख्या 226/34 रकबा 59.02 बीघा खसरा संख्या 52 रकबा 07.03 बीघा कुल रकबा 66.05 बीघा के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/भू.अ.//2022/1043-48
 प्रसिद्धि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थीगण निम्बाराम पुत्र टीकमाराम वगैरा।
3. विप्रार्थीगण सुखराम पुत्र रायचन्द्रराम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना।

(रामजी माई कलबी)
 उपखण्ड अधिकारी
 (SDO) सेड़वा

दिनांक 03/08/22



(रामजी माई कलबी)
 उपखण्ड अधिकारी
 (SDO) सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

आवेदन सं. 102/2021 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

निम्बाराम वगैरा बनाम सुखराम वगैरा

आसीन अधिकारी - श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस
प्रार्थीगण वकील - करनाराम कडवासरा
विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के वकील - मोहनलाल खिलेरी

निर्णय

दिनांक - 29.07.2022

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बामरला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बामरला के मौजा चम्पाबेरी के खेत खसरा संख्या 227/34 रकबा 66.05 बीघा, खसरा संख्या 33 रकबा 01.01 बीघा, खसरा संख्या 34 रकबा 65.04 बीघा कुल रकबा 66.05 बीघा तथा खसरा संख्या 226/34 रकबा 59.02 बीघा खसरा संख्या 52 रकबा 07.03 बीघा कुल रकबा 66.05 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो खेत प्रार्थीगण के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से मोहनलाल खिलेरी आये। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के वक्त काशत प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार की तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बामरला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बामरला के मौजा चम्पाबेरी के खेत खसरा संख्या 227/34 रकबा 66.05 बीघा, खसरा संख्या 33 रकबा 01.01 बीघा, खसरा संख्या 34 रकबा 65.04 बीघा कुल रकबा 66.05 बीघा तथा खसरा संख्या 226/34 रकबा 59.02 बीघा खसरा संख्या 52 रकबा 07.03 बीघा कुल रकबा 66.05 बीघा की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुटाराघात न हो।

वकील पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.07.2022 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।



(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा
(SDO) सेड़वा